कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ14(पीएचईडी)2011/एफसीए/प्रमुवसं/ 4971 दिनांक: 25-11-19

शासन सचिव,
वन विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषय:– Diversion of 15.0015 hac. (Including of 4.798 ha. already diverted & 3.6 hac. rediversion of already diverted in favour of NHAI) for Chambal-Bhilwara Water Supply Project Phase-I (Proposal No. FP/RJ/WATER/ 18811/ 2016)

संदर्भ:–भारत सरकार का पत्रांक 8 बी/राज/08/41/2015/एफसी/528 दि. 30.11.2018 991/C

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि मुख्य वन संरक्षक, अजमेर/कोटा/उदयपुर एवं वन्यजीव क्षेत्र निदेशक मुकुन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व कोटा के पत्रांक 2668 दिनांक 29.05.2019, 5795 दिनांक 16.08.2019, 6833 दिनांक 10.10.2019 एवं 3316 दिनांक 04.11.2019 के साथ वांछित सूचनाऐं एवं प्रमाणित वचनबद्धताऐं तथा जमा धनराशि का कैम्पा कन्फरमेंशन संलग्न प्राप्त हुआ हैं। उपर्युक्त अनुसार प्राप्त सूचनाऐं 2 सेट में प्रेषित कर निवेदन है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ कार्यालय को संदर्भित पत्र के क्रम में मूल सेट अग्रेषित करने का कष्ट करें।

995
1010
1035 C.
1050

संलग्न:– उक्तानुसार ।

भवदीय,

(डॉ. गोबिन्द सागर भारद्वाज)
अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एंव नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ14(पीएचईडी)2011/एफसीए/प्रमुवसं/ 4972-81 दिनांक: 25-11-19

प्रतिलिपि:–

1. अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षैत्रीय कार्यालय (मध्यक्षैत्र) पंचम तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024 (उ0प्र0)
2. मुख्य वन संरक्षक, अजमेर/उदयपुर/कोटा एवं वन्यजीव क्षेत्र निदेशक मुकुन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व कोटा ।
3. उप वन संरक्षक, भीलवाडा/बूंदी/चित्तौडगढ/एमएनपी, कोटा।
4. अधिशासी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, परियोजना खण्ड–रावतभाटा, जिला चित्तौडगढ।

(पी. सी. कुमावत)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर

क्रमांक पत्रा ( )वसु/मुवसं/2019–20/6833 दिनांक :– 10-10-2019

निमित्,
अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एंव नोडल अधिकारी, एफसीए.,
राजस्थान, जयपुर।

विषय :– *Diversion of 15.0015 hac.(Including of 4.798 ha. already diverted & 3.6 hac. rediversion of already diverted in fovour of NHAI) for Chambal-Bhilwara Water Supply Project Phase-1* ***(proposal No. FP/WATER/18811/2016)***

संदर्भ :–आपका पत्र कमांक एफ 14(पीएचईडी)2011/एफसीए/प्रमुवसं/3561–62 दिनांक 12.9.19 के कम में। 1023/C

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के कम में निवेदन है कि आप द्वारा चाही गयी सूचना/दस्तावेज प्रमाणित सहित मूल ही इस कार्यालय के सहमति के आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।
(मूल दस्तावेज प्रमाणित सहित)

भवदीय,

(sd)

(बी.प्रवीण)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर।

क्रमांक पत्रा/ सम / दिनांकः–

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1– उप वन संरक्षक, चित्तौडगढ।
2–मुख्य वन संरक्षक,(वन्यजीव) एवं क्षेत्र निदंशक, मुकुन्दरा हिल्स, टाईगर रिवजर्व, कोटा।

–Sd–
संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर।

कार्यालय उप वन संरक्षक (वन्यजीव) मुकन्दरा राष्ट्रीय उद्यान, कोटा

रावतभाटा रोड, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के सामने, कोटा (राज0) पिन–324010

Phone No. 0744-2470723 E-mail :- dcfmnp.kot.forest@rajasthan.gov.in

क्रमांक :एफ ( ) तक0/एफ.सी.ए./उवस/मु.रा.उ./2019–20/ दिनांक:

निमित :–

मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव
एवं क्षेत्र निदेशक
मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व, कोटा

विषय :– Diversion of 15.0015 Ha of forest land (including of 4.798 Ha. already diverted and 3.60 Ha. rediversion of already diverted in favour of NHAI) in favour of Public Health Engineering Department, Jaipur for construction of dirnking water pipe line in Chambal Bhilwara Phase-I in District Chittorgarh, Bhilwara and Bundi.

संदर्भ :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक (Hoff) राजस्थान, जयपुर का पत्र क्रमांक 1228–32 दिनांक 16.04.2019 एवं आपका पत्रांक 1426 दिनांक 23.05.2019 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षैत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ के पत्र संख्या 528 दिनांक 30.11.2018 के सम्बन्ध में पालना रिर्पोट निम्नानुसार प्रेषित है –

शर्त सं0 1	वनभूमि का वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।	स्वीकार है यूजर एजेंसी द्वारा वचन बद्धता प्रमाण पत्र (undertaking) प्रस्तुत कर दी गयी। संलग्न एनेक्चर 1
शर्त सं0 2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विभाग के पक्ष में समतुल्य गैर वनभूमि पर (Bhaisroadgarh Village 3.268 Ha, Shripur village 0.18 Ha. in Chittorgarh District & Dhanpura (1.9324 Ha + 4.6711 Ha.) of Bhilwara District) क्षतिपूरक वृक्षारोपण 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में ऑनलाईन चालान के माध्यम से जमा की जाएगी। उक्त वन भूमि के स्वामित्व के बाहर की है। इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा इस भूमि को छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	सम्पूर्ण राशि जमा कर दी गयी। संलग्न एनेक्चर 2 आवंटन की प्रति संलग्न है।
शर्त सं0 3	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन फलस्वरूप दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत प्रभावित वन भूमि (भीलवाडा वन मण्डल में 0.075 है0 एवं बून्दी वन मण्डल में 0.656 है0) कुल 0.731 है0 के दस गुने वृक्षारोपण को अवनत वन भूमि (0.731 × 10 = 7.31 है0) अर्थात् 8.00 है0 पर करवाया जाएगा एवं 10 वर्षो तक इसके रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली से ऑनलाईन चालान के माध्यम से जमा की जाएगी।	सम्पूर्ण राशि जमा कर दी गयी है। संलग्न एनेक्चर 3
शर्त सं0 4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में ऑनलाईन चालान के माध्यम से जमा की जाएगी।	सम्पूर्ण राशि जमा कर दी गयी है। संलग्न एनेक्चर 4

शर्त सं0 5	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेगें कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की धनराशि में बढोतरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	यूजर एजेंसी द्वारा वचन बद्धता प्रमाण पत्र (undertaking) प्रस्तुत कर दी गयी। संलग्न एनेक्चर 5
शर्त सं0 6	विधिवत स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र की सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4 फीट ऊँचें आर.सी.सी. पीलरों से किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक, डी. जी.पी.एस. निर्देशांक, Backword and Forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जाएगी।	यूजर एजेंसी द्वारा वचन बद्धता प्रमाण पत्र (undertaking) प्रस्तुत कर दी गयी। संलग्न एनेक्चर 6
शर्त सं0 7	पेयजल पाईप लाईन बिछाने हेतु खोदी गई नाली में पाईप डालने के उपरान्त पुनः ठीक से मिट्टी भरान किया जायेगा।	यूजर एजेंसी द्वारा वचन बद्धता प्रमाण पत्र (undertaking) प्रस्तुत कर दी गयी। संलग्न एनेक्चर 7
शर्त सं0 8	प्रयोक्ता अभिकरण को यदि आवश्यक हो तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होगी।	NA
शर्त सं0 9	इस कार्यालय के पत्रांक 8बी/राज0/08/18/2012/ एस.सी./1049 दिनांक 08.10.2014 द्वारा प्रकरण (चम्बल भीलवाडा पेयजल परियोजना हेतु 4.798 है0 (जनपद भीलवाडा 1.350 है0, चित्तौडगढ जनपद – 3.448 है0) वन भूमि का प्रत्यावर्तन एवं 3.60 है0 पूर्व में जनपद भीलवाडा में एन.एच. आई. के पक्ष में प्रत्यावर्तित वन भूमि का रि–डाईवर्जन एवं 1794 वृक्षों के पातन की विधिवत स्वीकृति) में जारी विधिवत स्वीकृति में निहित शर्तें यथावत रहेगी।	यूजर एजेंसी द्वारा वचन बद्धता प्रमाण पत्र (undertaking) प्रस्तुत कर दी गयी। संलग्न एनेक्चर 8
शर्त सं0 10	भीलवाडा वन मण्डल के अन्तर्गत भा.रा.रा.प्रा. के पक्ष में पूर्व में प्रत्यावर्तित 3.6 है0 वन भूमि के पुनः प्रत्यावर्ततन एवं सम्मिलित हैं, जिसकी विधिवत स्वीकृति प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा–निर्देशों का पालन करेगी।	यूजर एजेंसी द्वारा वचन बद्धता प्रमाण पत्र (undertaking) प्रस्तुत कर दी गयी। संलग्न एनेक्चर 9

उपरोक्तानुसार यूजर एजेंसी से प्राप्त अनुपालना रिपोर्ट की छायाप्रति संलग्न प्रेषित कर अग्रिम एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

भवदीय

(टी0 मोहन राज)
उप वन संरक्षक (वन्यजीव)
मुकन्दरा राष्ट्रीय उद्यान कोटा

क्रमांक :एफ ( ) तक0/एफ.सी.ए./उवस/मु.रा.उ./2019–20/6730-32 दिनांकः 19/8/19

प्रतिलिपी :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

01. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन सरंक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।
02. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा नोडल अधिकारी, राजस्थान जयपुर।
03. अधिशाषी अभिंयता जन स्वा. अभि. विभाग परियोजना खण्ड रावतभाटा, चितोड़गढ़।

(टी0 मोहन राज)
उप वन संरक्षक (वन्यजीव)
मुकन्दरा राष्ट्रीय उद्यान कोटा